# महाविद्यालय का परिचय

कुसमी सरगुजा संभाग मुख्यालय अम्बिकापुर से 95 किलोमीटर बलरामपुर जिला मुख्यालय से 82 किमी.दूर अम्बिकापुर करौंधा मार्ग पर स्थित है पूर्व की ओर बेन गंगा नदी व उत्तर की ओर सामरी पाठ तथा दक्षिण पूर्व की ओर गलफुआ नदी के मध्य राज्य के सीमांत पर बसे होने के कारण कुसमी न केवल जिले के वरन राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है ।

यहां तथा आस–पास के छात्रो को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1960 से कम से कम 95 किलोमीटर की दूरी तय कर अम्बिकापुर जाना पड़ता था । कुसमी के नागरिकों के प्रयास तथा शासन की अनुकम्पा से सितम्बर 1988 मे यहा शासकीय स्नातक महाविद्यालय की स्थापना हुई जिससे वर्तमान में कला संकाय की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हुई सत्र 1991–92 से बी. ए. की तीनों कक्षाओं का अध्ययन कार्य होने लगा है ।

वर्तमान में महाविद्यालय का निजी स्थायी भवन है ।महाविद्यालय भवन का लोकार्पण 12–1–2008 को यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर से संबंध है । डॉ रमन सिंह मुख्यमंत्री छ.ग. शासन द्वारा किया गया ।

## सामान्य विवरण

1. महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अध्ययन की सुविधा है । इसके अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, एवं राजनीति शास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र विषय है । स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में योग्य एवं कुशल अनुभवी प्राध्यापकों के शिक्षण और मार्ग दर्शन से निरंतर उत्तम परीक्षाफल मिलता रहा है ।
2. स्नातक कक्षाओं हेतु विषयों का चयन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित विषय समूह के अनुसार की किया जा सकेगा ।प्रत्येक विद्यार्थी को वांछित विषय लेने की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है ।
3. महाविद्यालय में युवा रेडक्रास की गतिविधियाँ भी संचालित है ।
4. महाविद्यालय में क्रीडा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं मैदान उपलब्ध है । क्रीडा की विभिन्न विधाओं के लिए प्रभारी प्राध्यापक होगें जो क्रीडा अधिकारी के सहयोग से सम्पूर्ण किया कलापों को मार्गदर्शन प्रदान कर नियंत्रण रखेंगे ।
5. महाविद्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु एक अनुशासन समिति है । जो महाविद्यालय में अनुशासन के संबंध में पूर्ण रूपेण अधिकृत है ।
6. राष्ट्रीय सेंवा योजना की एक इकाई है जिसमें 100 विधार्थियों को प्रवेश दिया जाता है । राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रशिक्षण योजना शिविर कार्यक्रम एवं सामान्य व्यवस्था का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करेगें इस इकाई का प्रत्येक विधार्थी सदस्य योजना के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों में रूचि लेकर पारस्परिक सहयोग से भी योजनाओं को निष्ठा से पूर्ण कर महाविद्यालय की गौरवशाली परम्परा का निर्वाह करेगा ।
7. विभिन्न प्रकार के देय शुल्क, शुल्क मुक्ति प्रवेश के नियम एवं मार्गदर्शन सिद्धान्त, आचरण संहिता, छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों की जानकारी छात्र सहायता निधि, अनुशासन संबंधी नियम, उपस्थिति एवं प्रवेश आवेदन प्रारूप सभी की विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके पालक का कर्त्तव्य है कि वे इनसे भली–भांति अवगत हो ।
8. महाविद्यालय का स्वयं का छात्रावास नहीं है किन्तु आ. जा. क. विभाग द्वारा संचालित 50 सीटर पो. में बालक/बालिका छात्रावास में महाविद्यालय छात्र/छात्राओं हेतु 30–30 सीट आरक्षित है । इच्छुक छात्र / छात्रा इसका लाभ उठा सकते है ।

## विषय चयन में विश्वविद्यालय का बंधन

सत्र 2011–2011 का बी.ए. प्रारंभिक एवं बी.एस.सी प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश देने हेतु विषयों के समूह बनाये गये है । इसके अनसुर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा । ये समूह निम्नानुसार है –

1. आधार पाठयक्रम (अनिवार्य)
2. बी.ए. प्रारंभिक–निम्नांकित विषयों में से किन्ही तीन विषयों का चयन करे, परंतु साहित्य के तीनों विषयों का एक साथ चयन मान्य नहीं है ।(1) समाज शास्त्र (2) अर्थशास्त्र (3) राजनीति शास्त्र (4) भूगोल (5) हिन्दी साहित्य (6) अंग्रेजी साहित्य
3. बी.एस.सी. प्रारंभिक प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र
4. एम.ए. (हिन्दी)
5. स्नातक द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है ।

## 16 आचरण - संहिता

1. प्रत्येक छात्र अपना ध्यान महाविद्यालय की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित अध्ययन पर लगायेगा साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में पूरा सहयोग देगा ।
2. कालेज की सम्पत्ति, भवन पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास आदि शांति सुव्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता में प्रत्येक छात्र रूचि लेगा और उन्हें कायम रखने में और सुधारने में सहयोग देगा । इसके विपरीत किसी भी विध्वसक प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो भाग लेगा और ना दूसरों को उकसायेगा । महाविद्यालय की दीवाल पर लिखना और पोस्टर चिपकाना और किसी प्रकार का गन्दा करना अवांछनीय है । चुनाव (छात्र संघ के प्रत्याशियों से अपेक्षा है कि वे इस बात पर विशेष ध्यान रखेंगे ।)
3. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में वह पूरी तरह सहयोग देगा और भाग लेगा बिना प्राचार्य की अनुमति के कक्षा अथवा परीक्षा में अनुपस्थित नहीं रहेगा ।
4. प्रत्येक छात्र को अपने व्यवहार में सहपाठियों और शिक्षाओं से नम्रता का व्यवहार करेगा और कभी अश्लील अशिष्ट, अशोभनीय व्यवहार नही करेगा ।
5. छात्रों को सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन ही बिताना चाहिए अतएव विशेषतः कालेज वा छात्रावास की सीमाओं में भी किसी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन सर्वथा वर्जित है । वेषभूषा में भी छात्रों में तड़क भड़क विलासिता शोभा नही देता इसका ध्यान रखना होगा ।
6. छात्रों को यदि कोई कठिनाई हो तो गुरूजन अथवा प्राचार्य के समकक्ष निर्धारित प्रणाली से और शांतिपूर्वक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा ।
7. आन्दोलन हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई को हल करने के मार्ग छात्र नही अपनायेंगे ।
8. छात्र सक्रिय दल गत राजनीतिक में भाग नहीं लेगा और अपनी समस्याओं के विषय में राजनैतिक दलों कार्यकर्ताओं अथवा समचार पत्रों आदि के माध्यम से हस्तक्षेप अथवा सहायता अवांच्छित है ।
9. परीक्षा या उससे संबंध में किसी प्रकार से अनुचित साधनो का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा ।
10. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति जिस प्रकार बढ़े और उसमें किसी प्रकार का कलंक न लगे ऐसा हो व्यवहार छात्रो द्वारा अनुशासन और संयम में रहकर करना चाहिए ।
11. आचरण के इन नियमों के भंग होने पर छात्रों को चाहिए प्राथमिक कार्य अध्ययन शांति और मनोयोग के साथ चल सके
12. छात्रों को यह सावधानी रखनी होगी कि किसी अनैतिकतामूलक और अन्य गम्भीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे परन्तु यदि ऐसा हुआ तो उसका नाम तत्काल कालेज के छात्रों में से हटा दिया जावेगा । ऐसे छात्र कालेज में किसी भी छात्र प्रतिनिधि पद पर नहीं रह सकेगें । कालेज का फर्नीचर चुराना/दुरूपयोग करना दण्डनीय होगा ।
13. छात्र अपने पिता/अभिभावक की संपत्ति का सही एवं सम्पूर्ण सप्रमाण पत्र दे अन्यथा वे दण्ड के भागी होंगे ।
14. छात्र स्वतः या दूसरे छात्र के पिता या अभिभावक का हस्ताक्षर न करे और न करायें अन्यथा उनका प्रवेश स्वीकार न होगा
15. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गए अध्यादेश क्रमांक 6 के अनुसार महाविद्यालय के नियमित छात्र/छात्रों को विश्वविद्यालयीन परीक्षा होने की पात्रता के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है । इस विधान का पालन दृढ़ता से किया जावेगा ।
16. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गए अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय में अथवा शहर अनुशासन भंग किये जाने या दुराचार किये जाने पर ऐसे छात्र–छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए प्राचार्य सक्षम है ।

**अनुशासन हीनता के लिए अध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान है :–**

1. निलम्बन 2. निष्कासन 3. विश्वविद्यालय में सम्मिलित होने से रोकन 4. रेस्टिकेशन

शिक्षण सत्र – महाविद्यालय में शिक्षण सत्र 1 जुलाई 200 से प्रारम्भ होगा महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र अपना प्रवेश आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ कार्यालय में दिनांक 15/7/ तक जमा करें । अपूर्ण आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा ।

**पाठ्यक्रम :–** सत्र 200 – 200 के लिए केवल कला से निम्नलिखित पाठ्यक्रम के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध होगा । स्नातक स्तर (कला संकाय) (1) बी.ए. भाग एक–125 (2) बी.ए. भाग दो–80 (3) बी.ए. भाग तीन – 80